

167

5



UB



04DD 026904



॥ श्री ॥

वीपक कुमार शाह व शशि कुमार शाह पुत्रगण श्री चन्द्र कुमार शाह

निवासीगण मकान नम्बर डी0 59/37, महमूरगंज, शहर वाराणसी।

..... प्रथम पक्ष/विक्रेतागण

Disposal/contract

Shashikumar Shah

For Shree Nathji Jewellers Pvt. Ltd.

Nathji

Director



040D 026907

2

व

श्रीनाथ जी डेवलिग प्रा० लि० रजिस्टर्ड आफिस स्थित मकान नं० सी०

2672 कबीरचौरा, शहर वाराणसी जरिये डायरेक्टर श्री सर्वेश कुमार

अग्रवाल पुत्र श्री एल० डी० अग्रवाल निवासी मकान नं० सी०के०

15/58 सुडिया, शहर वाराणसी।

..... द्वितीय पक्ष/क्रेता

विदित हो कि मकान नं० डी० 59/37ए, जो आराजी खतौनी संख्या

नं० 561 व खसस संख्या 561/2 मौजा शिवपुरवा, परगना देहात

अमानत, तहसील व जिला वाराणसी पर स्थित है। प्रथम पक्ष की

Dipak Kumar Lal

Santhakumar

For Shree Nathji Wellings Pvt. Ltd.

[Signature]

Director



04DD 026908

3

स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसको प्रथम पक्ष ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व मालिकान से बअदाय मायजा कामिल क्रय किया है जिस पर केवल एक कोटरी स्थित है पर प्रथम पक्ष का नाम नगर विगम वाराणसी में संघिका संख्या डी0 156/98/एम दिनांक 24.08.1998 के द्वारा कायम हुआ है जिसका टैक्स मकान तथा नल पानी वर्गेरह का प्रथम पक्ष अपने पास से अदा करते चले आ रहे हैं जिसमें प्रथम पक्ष के साथ कोई व्यक्ति भागीदार एवं साझीदार नहीं है जिसके हस्तान्तरण का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को हासिल है जो चाहे सो करे। प्रथम पक्ष को

उपरोक्त सम्पत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि प्रथम पक्ष को

Dipak Kumar Lal

Jashu Kumar Sah

For Haroonathji Holdings Pvt. Ltd.

Director



04DD 026909

4

उसके प्रवचन एवं देखभाल आदि के कार्यों में अपने पास से व्यय करना पड़ता है अतिरिक्त इसके प्रथम पक्ष को कर्ज भी अदा करना है जिस कारण प्रथम पक्ष ने अच्छी तरह सोच समझकर यह तय व निश्चय किया कि प्रथम पक्ष उपरोक्त मकान सम्पत्ति के अंश भाग रकवा 17699.23 वर्गफीट को किसी व्यक्ति के हाथ उचित मूल्य पर विक्रय कर देवे और उसके विक्रय मूल्य से लाभान्वित होते रहे। प्रथम पक्ष ने ऐसा तय व निश्चय कर लोगों में उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय की दावचीत चलाया जिनमें से द्वितीय पक्ष उपरोक्त मकान सम्पत्ति रकवा

17699.23 वर्गफीट को बायज कीमत मु० 46,00,000/- किया।

Dipak Kumar

Sushil Kumar Sah

For Shreenathji Dwellings Pvt. Ltd.

Director



0400 026910

5

लाख रुपये) पर क्रय करने को प्रस्तुत है जो कीमत बाधत सम्पत्ति मजकूर बलिहाज मौका व रेट बाजारी के अत्यन्त उचित व पर्याप्त है। इतनी या इससे अधिक कीमत कोई अब्ध व्यक्ति देने को तैयार नहीं है इस कारण प्रथम पक्ष ने उपरोक्त मकान सम्पत्ति मय खुला जमीन के विक्रय की बातचीत द्वितीय पक्ष के साथ उपर्युक्त तयथुदा कीमत पर विक्रय करना स्वीकार कर लिया है और अब प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के हक में उपरोक्त सम्पत्ति को विक्रय करना और विक्रय पत्र द्वितीय पक्ष के हक में लिखकर उसका पंजीकरण करना स्वीकार्य है। अतः स्वस्थ चित्त से प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी प्रकार के बाह्य दबाव के

Dipak Kumar Lal

Jeevan Kumar Lal

For Shreeanabji Dyeing Pvt. Ltd.

[Signature]
Director

Director



0400 026911

6

अच्छी तरह समझ-बूझकर अपने चैतन्य मन व इन्द्रियों सहित मकान
नं० 59/37ए, स्थित मोहल्ला शिवपुरिया, शहर वाराणसी के आंशिक
भाग रकबा 17699.23 वर्गफीट जिसका पूर्ण विवरण तथा चर्चुसीमा
अधोलिखित है जो संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से प्रदर्शित है
को द्वितीय पक्ष के हाथ बयौज कीमत रु० 46,00,000/- (चियालीस
लाख रुपये) जिसका आधा रु० 23,00,000/- (तेईस लाख रुपये)
होता है पर बय किया व बेचा और यह विक्रय पत्र द्वितीय पक्ष के हक
में निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित लिखकर उससे अगले-अपने को तथा

Shree Anand Lal

Shree Anand Lal

For Shreeanandji Dwellings Pvt. Ltd.

Anand Lal
Director



04DD 026912

7

अपने - अपने उत्तराधिकारियों एवं स्थापनापत्नों को आबद्ध करते व होते

है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण तयशुदा विक्रय मूल्य मु०

46,00,000/- (छियालीस लाख रुपये) द्वितीय पक्ष से जरिये

एकाउन्ट पैंसी चेक नं० 004376 दिनांक 28.01.2005 ऊपर

यूनियर बैंक आफ इण्डिया, कैंट ब्रान्च, शहर वाराणसी समक्ष

सब रजिस्टार, वाराणसी आज वसूल पा लिया और अब प्रथम

पक्ष को विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष से कुछ पावना

शेष नहीं रहा। यदि प्रथम पक्ष अथवा उसके उत्तराधिकारीगण

Dipak Kumar

Janki Kumar

Dr. Sreenathji, Bellings Pvt. Ltd.

K. S. S.

Director



0400 026913

8

भविष्य में सम्पूर्ण अथवा आंशिक विक्रय मूल्य के प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत करे तो वह इस विक्रय पत्र के समक्ष मिथ्या व निराधार सिद्ध होगा।

2. यह कि प्रथम पक्ष ने विक्रय की गयी जायदाद पर से अपना कब्जा दखल मालिकाना आज की तारीख में हटाकर उस पर द्वितीय पक्ष का वास्तविक कब्जा दखल मालिकाना करा दिया।
द्वितीय पक्ष को चाहिये कि वह विक्रय की गयी जायदाद पर नैरिहित गालेज में काबिज दखिल रहकर उसके सम्पूर्ण स्वत्व एवं अधिकार का उपयोग व उपभोग करे। विक्रय की गयी

Dipankar Kumar Das

Jyeshtha Kumar Das

Shreechaji Dwellings Pvt. Ltd.

Director



04DD 026914

9

जायदाद में प्रथम पक्ष के जो भी अधिकार रहे वे सब आज की तारीख में द्वितीय पक्ष के हक में हस्तांतरित हो गये। आज की तारीख से प्रथम पक्ष से विक्रय की गयी जायदाद से किसी प्रकार का चारता या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में होगा।

3. यह कि विक्रय की गयी जायदाद हर प्रकार के ऋण बोझ, सम्पत्ति टोप एवं हस्तांतरण यानि बय, रेहन, हिवा, जमानत, पट्टा, चार्ज, कुर्की एवं नीलामी व मुकदमा आदि से मुक्त पाक साफ हालत में बहक द्वितीय पक्ष बय की गयी है। यदि भविष्य

में इसके विपरीत कोई बात पायी जावे अथवा विक्रय की गयी

Siparic Kumar Lal

Suresh Kumar Singh

Shree Nathji Dwellings Pvt. Ltd.

[Signature]

Director



04DD 026915

10

जायदाद में प्रथम पक्ष के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भागीदार एवं साझीदार के रूप में प्रकट होवे अथवा प्रथम पक्ष के अनाधिकार के कारण विक्रय की गयी जायदाद का सम्पूर्ण अथवा आंशिक भाग द्वितीय पक्ष क्रेता के अधिकार से निकल जावे अथवा द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय की गयी जायदाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई क्षति उठाना या देना पड़े तो प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी सम्पूर्ण विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा व सूद बशरत बहिस्ताब बैंक रेंट के प्रथम पक्ष से जिस प्रकार उचित समझे वसूल कर लेवे।

Dipak Kumar

Santhosh Kumar

Prof. Dr. Anandji Wellingkar Pvt. Ltd.

Director



04DD 026916

11

जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि विक्रय की गयी जायदाद पर से प्रथम पक्ष का नाम नजर निजाम, बाराणसी में प्रार्थना पत्र देकर निरस्त करा देवे और उसके स्थान पर अपना नाम अंकित करा लेवे और उसका टैक्स मकान तथा बल पानी वगैरह का जो भी निर्धारित हो अदा किया करे। आज के तारीख के पूर्व के सम्पूर्ण टैक्स वगैरह के अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर रहेगी। द्वितीय पक्ष को यह भी अधिकार होगा कि

Dipankar Kumar Das

Jyoti Kulkarni

For Shroonathji Dwellings Pvt. Ltd.

Director



04DD 026917

12

मुहकमा माल सरकारी में भी प्रार्थना पत्र देकर पूर्व का अंकित नाम निरस्त कराकर उसके स्थान पर अपना खुद का नाम अंकित करा लेवे और उसका लगान आदि अपने पास से अदा करते रहे। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के नाम चढ़वाने के प्रार्थना पर अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर कर हवाले द्वितीय पक्ष कर दिया है।

5. यह कि प्रथम पक्ष ने इस विक्रय पत्र के पूर्व किसी के तक में विक्रय की गयी जायदाद का सट्टा या बैनामा तहरीर नहीं किया

Dipak Kumar

Suresh Kumar

Shree Nathji Dwellings Pvt. Ltd.

Director



04DD 026918

13

है और विक्रयशुदा मकान सम्पत्ति आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

6. यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति सिंगल अधिनियम की धारा 10 (3) व 10 (5) से प्रभावित नहीं है और न ही किसी सरकारी योजना से प्रभावित है।

7. यह कि प्रथम पक्ष ने इस विक्रय पत्र के सम्पूर्ण प्रतिबन्धों को अक्षरशः पढ़ व पढ़ाकर सुन व समझकर उसके काबूली असरात

को जान व समझकर वहक द्वितीय पक्ष तहरीर किया है जिसकी

Dipak Kumar Lal

Trishu Kumar Sah

Fas Shroenathji Dwellings Pvt. Ltd.

Director



0400 026919

14

पूरी पाबन्दी प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नों
पर हर दशा में है व होगी।

इस वास्ते यह विक्रय पत्र बहक द्वितीय पक्ष अपने स्वेच्छ से
लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

तफसील जायदाद जो बहक द्वितीय पक्ष वय की गयी

मकान नं० डी० 59/37ए, जो आराजी खतौनी संख्या मि० 561 व
खसरा संख्या 561/2 मौजा शिवपुरवा, परगना देहात अमानत, तहसील
व जिला वाराणसी पर स्थित है का आंशिक भाग जिसका क्षेत्रफल
17699.23 वर्गफीट व कवर्ड एरिया 255 वर्गफीट है जो संलग्न

Dipak Kumar / 2

[Handwritten Signature]

For Shroenathji Dwellings Pvt. Ltd.

[Handwritten Signature]
Director



01DD 026920

15

मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से प्रदर्शित है को बहक द्वितीय पक्ष
प्रेता विक्रय की गयी। विक्रय की गयी जायदाद में सिर्फ एक कोटरी
दक्षिण पश्चिम के कोने पर पश्चिमी दीवाल से सटकर कायम है। जिसकी
पैमाइश संलग्न मानचित्र में अंकित है। विक्रय की गयी जायदाद में
और कोई तामीरात नहीं है बल्कि शेष भाग बशकल खुली जमीन के है।
विक्रय की गयी जायदाद मुख्य मार्ग से 200 मीटर से अधिक दूरी पर
स्थित है और किसी चिह्नित मार्ग पर नहीं है। सम्पूर्ण मकान का नगर
निगम वाराणसी का वार्षिक असोसामेन्ट मु0 480/- रुपया है विक्रय की
गयी जायदाद की चतुर्दिक सीमा अधोलिखित है :-

Dipak Kumar Lal

Jyoti Kumar Lal

For Sakoonthi Dwellings Pvt. Ltd.

Director



04DD-02692J

16

पूरव : मकान नं० डी० 59/37ए का जुज भाग मय

चहारदीवारी व मकान चन्द्र कुमार शाह।

पश्चिम : जमीन दीगर असखास।

उत्तर : जुज भाग जमीन मुतल्लिक मकान नं० डी० 59/37ए

दक्षिण : जमीन व मकान दीगर असखास।

तहरीर तारीख :- 28.01.2005

Bipin Kumar

Chand Kumar

Pat Bhroonathji & Co. Pvt. Ltd.

Chand
Discode



0400 026922

17

गवाहान :-

1. नाम *Lamba Kumar Jeth*

पिता का नाम *Late Babu Jagmohan Das*

पता *D 55/37, Mahomraj, Varanasi*

2. नाम *Diwaker Agrawal*

पिता का नाम *Late Rama Das Agrawal*

पता *CK. 21/29, Malheri Bazar, Varanasi*

Dipak Kumar Lal

Jwala Kumaresah

Shreenathji Dwellings Pvt. Ltd.

Suresh

Director



04DD 026923

18

मसविदाकर्ता :- आनन्दराजपारेडकर

एडवोकेट

सिविल कोर्ट, वाराणसी।

Dipak Kumar Singh

Suresh Kumar Singh

For Anand Nath Pr. B. & Co.

Director



04AA 333818

19

टाईपकर्ता :-

मनीज यादव
मनीज यादव

चै 0 नं 0 5, रजिस्ट्री आफिस के सामने,

कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

Dipak Kumar Pat

Shreehari Kumar Pat

Shreehari Wellings Pvt. Ltd.

Director

SITE PLAN OF PART OF HOUSE NO D.59/37A &
 PART OF SETTLEMENT PLOT NO. 561 & KHASARA NO. 561/2
 SITUATED AT MAUZA SHEOPURWA, BARGANA DEHAT
 AMANTIA WARD DASHASHWAMEDH, DIST. VARANASI


SCALE:- 1"=30'

AREA:- 17699.23 SQFT.

COVERED AREA:- 255 SQFT.



PART OF HOUSE NO D.59/37A



LAND OF OTHERS

Dipak Kumar

For Sireenathji Drilling Pvt. Ltd.

Director

[Handwritten signature]

1148
 25000
 श्रीमान जी सुवेदीगं प्राचार्य
 जीए डीएम लखीमपुर खीरी जिला
 लखीमपुर
 570000

28/1/2005

श्रीमान श्री सुवेदीगं प्राचार्य
 जीए डीएम लखीमपुर खीरी जिला
 लखीमपुर
 570000



30-नवम्बर तक
 शर्मा

Dipak Kumar

1157
 10000
 श्रीमती श्रीमती देवकी देवी
 जीवित शरीर में ही कुल का जन्म
 कादी चिन्ता
 वाराणसी
 5/10/00

3
 24/12/03
 C. S. S. S.

अनुमान
 2647/669
 15/6/03
 कायदा नं. - 4
 कायदा नं. - 312
 कायदा नं. - 113
 17/01/04

कायदा नं. 25/01/04
 कायदा नं. 112
 कायदा नं. 156
 कायदा नं. 162
 कायदा नं. 111
 वाराणसी

